

बांग्लादेश का घटनाक्रम, भारत के लिये बहुत महत्वपूर्ण है

भारत की पहली प्राथमिकता है, इस बात की चौकसी रखना कि, कोई अन्य देश, मुख्य रूप से पाकिस्तान व चीन, अशांत परिस्थिति का लाभ उठाते हुए, बांग्लादेश में अपनी चौधराहट स्थापित करने का प्रयास न करें

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ कर भारत में शरण ली है। भारत की जिम्मेदारी है कि इसके विपरीत प्रभाव को नियंत्रित करे। बांग्लादेश में सेना ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को आरक्षण दिलाने के सरकार के निर्णय पर देश भर में महीने भर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन गत दो दिनों के हालात ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए देश छोड़ने के हालात बना दिए।

खबरों के अनुसार, बांग्लादेश सेना प्रमुख राष्ट्रपति से मिले और निर्वाचित प्रतिनिधियों की चुनौती हुई सरकार बनाने के विकल्पों पर बात की। बांग्लादेश के हालात और शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वहां अराजकता पनप रही है।

बांग्लादेश के घटनाक्रम का भारत पर, खास कर बंगाल पर भारी प्रभाव पड़ेगा। सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर,

हाल ही में निवर्तमान प्र.मंत्री शेख हसीना चीन गई थीं, राष्ट्रपति शी से मिलने, पर, वे चीन के दबाव में नहीं आयीं, बांग्लादेश के बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन को सर्वाधिकार कन्सेशन देने के लिए।

शेख हसीना के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत से तथा वे अब बांग्लादेश छोड़कर भारत आयी हैं। अतः भारत के लिये अति महत्वपूर्ण यह भी है कि बांग्लादेश में विकसित होने वाली व्यवस्था व शेख हसीना के बीच बारीक संतुलन बनाकर रखे।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्र.मंत्री से लम्बी मुलाकात कर इस घटनाक्रम की सभी बारीकियां स्पष्ट की हैं प्र.मंत्री के सम्मुख।

चर्चा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिल्ली में शेख हसीना से मुलाकात की है।

सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत और बांग्लादेश की सभी रेल सेवाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ढाका हवाई अड्डा बंद है और फिलहाल दोनों देशों के बीच विमान

सेवा भी बंद है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध हैं, उनके अचानक सत्ता से वेदखल होने से भारत के लिए

वहां हालात मुश्किल बन जाएंगे। बदले हालात में भारत को नई सरकार के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने होंगे और वह आसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश में कई ताकतें हैं, जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं।

बदले हालात में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अन्य देश, चीन या पाकिस्तान इस मुसीबत में फायदा उठाने की कोशिश न करें। यह भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि पूर्व सरकार के साथ भारत से हमेशा के अच्छे रिश्ते रहे हैं।

हाल ही में जब शेख हसीना चीन गई थीं और शी जिनपिंग से मिली थीं तो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन को देने और चीन को काफी राहतें देने के दबाव में नहीं आई थीं।

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर चुकी हैं। जब उन्होंने बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन से पीड़ित लोगों को बंगाल में शरण देने की अपील की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आर.सी.ए. को भंग करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

जयपुर, 5 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आर.सी.ए.) को भंग करने के मामले में दायर अपील पर सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मोषा की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी।

इस मामले में महाधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने के लिए समय मांगे जाने पर हाई कोर्ट ने सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी है।

अपील में कहा गया कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 28 मार्च को एसोसिएशन भंग कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिका को एकलपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति रखनी चाहिए थी। जबकि, खेल परिषद की शिकायत पर ही रजिस्ट्रार ने एसोसिएशन को भंग किया था। ऐसे में अपीलार्थी अधिकारी के तौर पर खेल सचिव के समक्ष याचिका दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश का घटनाक्रम एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश है?

ऐसा लगता है कि साजिश का मन्तव्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अशांत बनाना है

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। शेख हसीना सरकार के एकाएक हुये पतन को इस पूरे उपमहाद्वीप को बेचैन कर देने वाली किसी अन्तर्राष्ट्रीय साजिश की पराकाष्ठा के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, वहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक प्रचंड हमलों का शिकार पहले से ही हो रहे हैं। भारत में रह रहे कुछ बांग्लादेशी नागरिक आंदोलनकारियों के समर्थन में बोल रहे हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि इस घटनाक्रम में पश्चिम शामिल है। यह संभव है कि कुछ पश्चिमी सूत्र तथा मध्य-पूर्व की कुछ ताकतें इसमें लिप्त हो सकती हैं।

अराजक बांग्लादेश पड़ोसी के लिये एक बड़ा सिर दर्द बन सकता है। ज्ञातव्य है कि बांग्लादेशी संगठन 'जमात' तथा वहाँ का विपक्षी दल 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (बी.एन.पी.) भारत के विरुद्ध हैं। वर्तमान आंदोलन के कुछ तौर -

पूरे देश में हिन्दू मंदिरों, रामकृष्ण मिशन व भारत सेवाश्रम संघ के प्रतिष्ठानों पर हमले हुए हैं।

यह भी धारणा बन रही है कि पश्चिमी देश तथा कुछ "मिडिल ईस्ट" ताकतें इस साजिश से जुड़ी हुई हैं।

वैसे भी बांग्लादेश में मुख्य आंदोलनकारी संगठन जमात व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत के खिलाफ ही रही हैं।

प्रदर्शनकारियों में कुछ भारत विरोधी भावनाएं भी देखी गई, जैसे- ढाका के इंदिरा गांधी सेंटर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीं, की याद में बनाया गया था बांग्लादेश की आजादी के महानायक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया गया।

ऐसा माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक प्रभाव में आयेगा।

तरीके ऐसे हैं जो भारत को व्याकुल कर देने वाले हैं। आंदोलनकारियों ने ढाका के उस 'इन्दिरा गांधी सेंटर' को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया है, जिसने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के योगदान का

यशोगान किया था।

और भी ज्यादा प्रेशान करने वाला वह हमला है, जो देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शेख मुजीबुरहमान की स्मृतियों के जुड़ी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने शिवराज सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा

मध्य प्रदेश के पूर्व मु.मंत्री दिग्विजय सिंह ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकसभा में रखा

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। कांग्रेस पार्टी ने एक और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखा है, इस बार यह प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है।

कांग्रेस ने पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा था। सूत्रों का कहना है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है क्योंकि लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से कांग्रेस द्वारा रखे गए प्रस्ताव के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

पता चला है कि संसद की विशेषाधिकार कमेटी का अभी तक भी गठन नहीं हुआ है और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का मसला तब ही उठाया जा सकता है, जब समिति का गठन हो जाए।

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री

दिग्विजय सिंह ने प्रस्ताव में कृषि मंत्री शिवराज पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है।

दिग्विजय सिंह के अनुसार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को एम.एस.पी. पर खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसानों को एम.एस.पी. से अधिक दाम तो बाज़ार में वैसे ही मिल रहे हैं।

दिग्विजय सिंह ने ऐसे कई और दृष्टांत पेश किये, जब शिवराज सिंह ने गलत जानकारी दी थी।

जैसा कि विदित ही है, कांग्रेस ने प्र.मंत्री मोदी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये स्पीकर के ऑफिस को भेज रखा है, क्योंकि अभी तक विशेषाधिकार हनन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि दोनों नेता मध्यप्रदेश से हैं तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों के बीच

हमेशा से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा दावा करते रहे हैं कि किसानों को इनपुट लागत और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर ग्रामीण सीट के लोकसभा चुनाव नतीजे को चुनौती

जयपुर, 5 अगस्त (का.सं.)। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने इस याचिका पर 13 अगस्त तक सुनवाई टाल दी है। याचिका में विजयी सांसद राव राजेन्द्र सिंह और मुख्य

कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, जो मात्र 1,615 मतों से हारे थे, ने याचिका दायर की है, जिस पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी।

निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया कि चुनाव परिणाम के लिए की गई मतगणना में काफी अनियमितताएं हुई हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम को रद्द कर ई.वी.एम. और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुनः की जाए। इसके अलावा, पूरी मतगणना की प्रक्रिया के सी.सी.टी.वी. फुटेज भी अदालत में पेश किए जाएं। याचिका में कहा गया कि उन्हें (अनिल चोपड़ा को) (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पर्यटन की दृष्टि से किया गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन वायनाड दुर्घटना का कारण है'

पर्यावरण विशेषज्ञों ने पर्यटन के लिए किए जा रहे विकास पर रोक लगाने की मांग कई बार की, पर वायनाड के लोगों ने ही इसे ठुकरा दिया

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। जुलाई के उस विनाशकारी दिन भोर होने से पहले ही, केरल के वायनाड जिले के कई गाँव भूस्खलन की चपेट में आ गये। घनघोर बरसात के कारण हुये भूस्खलनों से पहाड़ियाँ ढह गईं तथा चट्टानें, मिट्टी और पानी के प्रवाह ने अपने प्रचंड वेग से सब कुछ नष्ट और ध्वस्त कर दिया। इस महाविपदा में कम से कम 386 लोग मारे जा चुके हैं, 273 से अधिक लोग घायल हो गये हैं तथा 180 लोग लापता हैं। इस प्रकार, यह विपदा केरल के इतिहास की सर्वाधिक घातक प्राकृतिक आपदा बन गई है।

वैस्टर्न घाट की पहाड़ियों में स्थित वायनाड में मानसून के मौसम में भूस्खलन की घटनाएँ खासतौर से संभावित रहती हैं और 29 जून को लगातार मुसलाधार बरसात के कारण, बहने लगे नदी के पानी ने लोगों को शिविर खाली करने पड़े थे। जिला प्रशासन द्वारा 'अलर्ट' कर दिये जाने के बावजूद,

स्थानीय लोगों का कहना था कि पर्यटन से रोजगार मिल रहा है। उनका कहना सही हो सकता है, पर, यह भी सत्य है कि जरूरत से ज्यादा पर्यटन व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण ही "लैण्ड स्लाइड" हुआ।

वैस्टर्न घाट की पहाड़ियों में स्थित वायनाड में हमेशा बरसात में लैण्ड स्लाइड होता है, पर, इस बार वायनाड के वो भाग भी विनाश की चपेट में आए, जहां कभी लैण्ड स्लाइड नहीं हुआ था।

इस संदर्भ में 2011 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें वैस्टर्न घाट में सड़क, रेल विस्तार तथा खनन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, पर, केरल सरकार ने वह रिपोर्ट ठुकरा दी थी।

कोरालमाला गाँव के बहुत से लोग अपने घरों में ही बने रहे, क्योंकि यह क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं था। भूस्खलन से दो दिन पहले, इस क्षेत्र में करीब 570 मिमी. वर्षा हुई।

वायनाड में हुई इस दुर्घटना के रूप में, पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए किये गये विकास के परिणाम एक बार फिर सामने आ गये हैं। इस विकास की सनक में, इस क्षेत्र की पर्यटकों की संख्या को वहन करने की क्षमता की अन्देखी की

गई तथा कथित विकास तथा क्षेत्र की क्षमता की अन्देखी, हाल ही के दिनों में भारत को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी बहुत बड़ी और दुखान्त घटनाओं की सूंखला का हिस्सा बन गई है।

वर्ष 2011 में इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसने वैस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल संवेदनशीलता का परीक्षण किया था, उसने सम्पन्न-संभ्रांत लोगों और तत्कालिक स्थानीय लोगों, दोनों के कारण पर्यावरण को खतरनाक नुकसान पहुंचने की बात को उजागर किया था। कमेटी ने इस नुकसान को दुखद माना था, क्योंकि दक्षिण भारत की परिस्थिति व अर्थव्यवस्था में वैस्टर्न घाट की व्यापक भूमिका है। इस समिति ने खनन बंद करने, नई रेल लाइनें बिछाने और संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े रोड बनाने पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी, इसके साथ ही संरक्षित क्षेत्रों में विकास पर अंकुश लगाने की भी सिफारिश की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में भारी बवाल, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ा, सेना ने कमान संभाली

फिलहाल वे भारत में हैं और स्थायी व्यवस्था होने तक यहीं रहेंगी

-सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अगस्त। बांग्लादेश में एक माह तक चले छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और सेना प्रमुख वकार-उज-जमान के हस्तक्षेप के बाद अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग गईं। इससे पहले, ढाका में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोल दिया।

इस बीच, जमान ने इस खबर की पुष्टि कर कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है तथा देश छोड़ कर चली गईं हैं। यहां पहुंच रही मीडिया की खबरों के अनुसार, उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही देश में एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाएगा।

जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि

गत एक माह से बांग्लादेश भारी हिंसा से जूझ रहा है, पर, आज हालात चरम पर पहुंच गए, लाखों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। बताया जाता है कि तब सेना प्रमुख की सलाह पर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया, सेना ने ही उनके सुरक्षित निकलने की व्यवस्था की।

शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी जश्न मनाते लगे, उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के महानायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी गिरा दी।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने की पुष्टि की तथा लोगों से हिंसा रोकने की अपील की।

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरु हुए छात्र विरोध ने भारी दमन के बाद हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं।

"पी.एम. हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अन्तरिम

सरकार देश में शासन चलाएगी। हम देश में वापस शान्ति की बहाली करेंगे। हमने देश की जनता से हिंसा बंद करने को कहा है। हम सभी हत्याओं की जांच करेंगे जो कि पिछले कुछ

सप्ताहों के दौरान हुई हैं।"

जमान ने कहा कि देश में कर्फ्यू या किसी प्रकार का आपातकाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आज रात तक सेना इस वर्तमान संकट का

समाधान निकाल लेगी।

शेख हसीना के लिए अगस्त माह एक बार फिर घातक सिद्ध हुआ है क्योंकि उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की हत्या भी वहां 15 अगस्त 1975 को हुई थी।

बांग्लादेश में इस घटना के बाद कानून व व्यवस्था की विगड़ी हुई स्थिति के मद्देनजर भारत में भी सीमा सुरक्षा बल ने भारत-बांग्लादेश की सीमा को लेकर हाईअलर्ट जारी किया है। बी.एस.एफ. के महानिदेशक भी इस बीच कोलकाता पहुंच गए हैं।

खबरों के अनुसार, शेख हसीना उनकी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सेना के हेलिकॉप्टर में सवार होकर सोमवार को दिन के लगभग 02.30 बजे बांग्लादेश से "सुरक्षित स्थान" के लिए निकल गईं।

बांग्लादेश में रविवार को पूरे दिन भारी हिंसा हुई और पूरे दिन चले संघर्ष में 14 पुलिसवालों सहित, 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और उन्होंने पुलिस एवं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया, कुछ पार्टी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेसमेंट में विद्यार्थियों की मौत, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 05 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक निजी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गत 27 जुलाई को पानी में डूबकर तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में सोमवार को स्वतः संज्ञान और नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया तथा केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा।

उज्जल भुइयां की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे सुरक्षा मानदंडों पर जवाब मांगा। पीठ ने उनसे पूछा है कि, सभी कोचिंग सेंटरों में किस तरह के पर्याप्त सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली में तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (शेष अंतिम पृष्ठ पर)